राजीव गांधी का नाम हटाकर अपना फ़ोटो बड़ा किया मोदी ने

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली (ममो)7 देश का सबसे बड़ा खेल अवार्ड- जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के तौर पर जाना जाता है, को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट के माध्यम से देश को इसक जानकारी। लेकिन इस मौक़े पर जारी पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोटो बहुत बड़ा लगाया गया है जबकि मेजर ध्यानचंद का फ़ोटो छोटा कर दिया गया है। हमें राजीव गांधी का नाम हटने पर एतराज नहीं है लेकिन मोदी के मुक़ाबले ध्यानचंद का फ़ोटो छोटा करने पर एतराज है।

ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी रहे हैं। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही खेल पुरस्कारों के तहत ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। सबसे पहले यह अवार्ड शतरंज खिलाड़ी विश्नाथन आनंद और बिलियर्ड्स खिलाड़ी गीत सेठी को दिया गया था।

एनआईटी में अवैध निर्माण एक....

पेज 1 का शेष

किया कि आखिर उनके नामों का इस्तेमाल क्यों किया गया। संजय अदलखा से जुड़ी यह सिर्फ एक बिल्डिंग की कहानी है। लेकिन उसने कई और भवन नगर निगम नियमों का उल्लंघन कर बनाये गये हैं। अमित आहूजा भाजपा का मंडल अध्यक्ष है और भाजपा विधायक सीमा त्रिखा से जुड़ा है। एनएच 3 डी ब्लॉक में नियम तोड़कर बनाए गए रॉयल्स होटल इस इलाके में आये दिन चर्चा का विषय रहता है। पिछले दिनों यहां एक फर्जी कोविड सेंटर की शुरुआत विधायक सीमा त्रिखा से कराई गई और वहां बाकायदा रेट लिस्ट लगाकर कोविड के नाम पर कमाई की गई। अमित आहूजा का नाम बडखल रोड पर नितिन वाली कथित प्रॉपर्टी में भी आ चुका है। 2014 से पहले अमित आहूजा एनआईटी में बड़ा नाम था और न ही उसका कोई होटल था। लेकिन जब अमित विधायक से जुड़ा तो उसकी किस्मत बदल गई। अमित आहूजा के दोस्तों का कहना है कि विधायक की सलाह पर ही उसने एक होटल एनएच 3 डी-14 बीपी में खड़ा कर दिया। उसकी इस बिल्डिंग में दो नामों वाले होटल चल रहे हैं, जिसमें एक का नाम रॉयल्स है तो दूसरे का नाम हैप्पी होम रेजीडेंसी है। दोनों के बिजनेस कोड अलग-अलग हैं। एमसीएफ ने इसे अवैध निर्माण मानते हुए नोटिस दिया था लेकिन विधायक का सीधा संरक्षण होने की वजह से नगर निगम कुछ कर नहीं पाया। संजय अदलखा की तरह अमित आहूजा का रीयल एस्टेट बिजनेस का काम फैलता ही जा रहा है। शहर में चर्चा है कि अमित आहूजा अपने दफ्तर में रोजाना भगवान को प्रणाम करने से पहले सीमा त्रिखा की फोटो को प्रणाम करता है।

एमसीएफ के लिए अवसर

बिल्डरों का यह गैंग एनआईटी में गली-गली प्रॉपर्टी खरीदकर चार-चार मंजिला भवन खड़ा कर रहा है। ऐसे भवनों में बिना स्टिल्ट पार्किंग चार मंजिला का निर्माण किया ही नहीं जा सकता। अगर बिल्डर सरकारी नियम कानून के तहत चौथा फ्लोर बनाएगा तो उसे एफएआर खरीदना पड़ेगा। अगर कोई मकान 350 गज का है और उस पर चौथा फ्लोर बनता है तो एमसीएफ उस पर नियमानुसार कार्रवाई कर 11 लाख रुपये की वसूली कर सकती है। 180 गज के नीचे बने मकान की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती है। इससे बेहतर है कि एमसीएफ सख्ती कर इन निर्माणों को रेगुलर कर अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। सिर्फ इसी गैंग के पांच सदस्यों से अगर एमसीएफ वसूली करे तो उसके पास कम से कम 70 करोड़ रुपये आ सकते हैं। नए निगम कमिश्नर यशपाल यादव को मजदूर मोर्चा की यह सलाह आकर्षक लग सकती है, क्योंकि कंगाल नगर निगम के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में यह गैंग और तमाम ब्लैकलिस्टेड बिल्डर उसकी कंगाली दूर कर सकते हैं।

किसलिए है फरीदाबाद में सीएम उड़नदस्ता

हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में अवैध निर्माणों की रोकथाम के लिए सीएम उड़नदस्ता बनाकर उसकी तैनाती यहां कर दी। उसने शुरू में तो खूब तेजी से कार्रवाई की लेकिन अब वो उड़नदस्ता कहीं नजर नहीं आता है। लगता है कि जैसे अब वो फरीदाबाद में अवैध निर्माण करा रहे लोगों, माफिया और दबंगों से मिल गया है। एनआईटी एनएच 3 के ई, डी, सी ब्लॉक में अवैध निर्माण की सबसे ज्यादा शिकायतें एमसीएफ से से लेकर सीएम उड़नदस्ते तक पहुंचीं। लेकिन एक में भी कार्रवाई नहीं हुई। एनएच 3 डी -63 और 3 डी -37 बीपी की लिखित शिकायतें सभी जगह पहुंचीं लेकिन वहां पांच-पांच मंजिले फ्लैट बनाकर बेच दिए गए। एक मामले में एफआईआर भी हुई तो वो बस खानापूर्ति के लिए हुई। जांच अधिकारी ने लिखा कि यहां कार्रवाई संभव नहीं है।

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर इसकी आवाज को बुलंद रखें।
मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

रिलायंस को झटका, बिग बाज़ार खरीदने पर रोक

ऑमेजन ने किया था इस डील पर एतराज

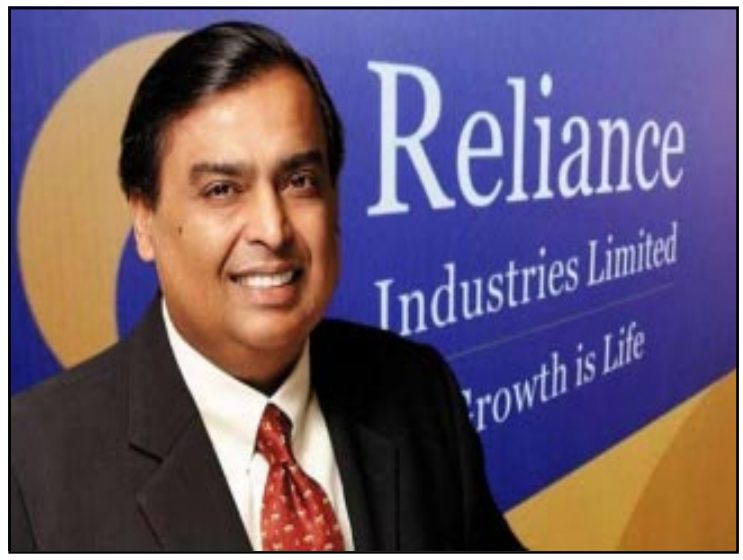

नई दिल्ली : रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (बिग बाज़ार) के विलय के 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के मामले में अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ऑमेजन (Amezon) की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारतीय कानून में आपातकालीन अवार्ड लागू करने योग्य है। मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर ग्रुप के सौदे पर फिलहाल रोक लगा दी है। रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप डील के खिलाफ अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि क्या इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के पास आर्बिटल ट्रिब्यूनल का कानूनी दर्जा है? क्या इसे भारत में लागू किया जा सकता है? क्या फ्यूचर ग्रुप की अपील दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई योग्य है? फ्यूचर ग्रुप के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 3.4 बिलियन डॉलर के सौदे को अमेज़न ने चुनौती दी थी।

अमेजन के पक्ष में सिंगापुर स्थित इमरजेंसी आर्बिट्रेटर (ईए) ने फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल के साथ 27,513 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, जिसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट (ईए) का एफआरएल को रिलायंस रिटेल के साथ विलय सौदे से रोकने का फैसला 'वैध' है और इसका क्रियान्वयन कराया जाना चाहिए। कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना था कि सौदे पर रोक लगाने का सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट (ईए) का फैसला भारतीय कानून के तहत वैध और लागू करने योग्य है या नहीं? बता दें कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस डील के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या है मामला

साल 2019 में अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप को 1920 लाख डॉलर दिए थे। अमेजन ने यह भुगतान फ्यूचर ग्रुप की गिफ्ट वाउचर इकाई में 49 फीसदी हिस्सेदारी के लिए किया था। अमेजन ने इस सौदे का विरोध किया था और कहा था कि फ्यूचर ग्रुप अपने कारोबार को रिलायंस को नहीं बेच सकता। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने भी ईए के आदेश को लागू करने योग्य ठहराया था और फ्यूचर रिटेल डील पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। सिंगल जज बेंच ने फ्यूचर डायरेक्टर किशोर बियानी की संपत्ति कुर्क करने का भी निर्देश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने किशोर बियानी, फ्यूचर रिटेल के डायरेक्टरों से यह भी कारण बताने को कहा था कि उन्हें 3 महीने की जेल की सजा क्यों नहीं भुगतनी चाहिए? बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल जज वाली बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी. HC के इस आदेश के खिलाफ अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

सीजेआई की गुहार, सीबीआई-आईबी जजों की मदद नहीं कर रहे

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली : देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने शुक्रवार को कहा कि अगर लोगों को उनके पसंद का आदेश नहीं मिलने पर देश में जजों को बदनाम करने का एक नया चलन विकसित हो गया है। न्यायाधीशों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि जब न्यायाधीश सीबीआई और आईबी से शिकायत करते हैं, तो वे भी मदद नहीं कर रहे हैं।

चीफ जस्टिस एन वी एन रमन्ना ने कहा, "देश में नया चलन विकसित हुआ है। न्यायाधीशों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। यदि न्यायाधीश आईबी और सीबीआई से शिकायत करते हैं, तो वे न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है। मैं इसे एक जिम्मेदारी की भावना के साथ कह रहा हूं।"

सीजेआई एन वी एन रमन्ना

चीफ जस्टिस और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में जहां गैंगस्टर और हाई-प्रोफाइल आरोपी शामिल हैं, वे न्यायाधीशों को शारीरिक और मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग, जिन्हें उनकी पसंद का आदेश नहीं मिलता है, वे जजों को बदनाम करने के इरादे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और अन्य जगहों पर संदेश प्रसारित करते हैं।

शीर्ष अदालत ने एडीजे उत्तम आनंद को ऑटो रिक्शा से कुचले जाने के मामले में स्वत-संज्ञान लेते हुए यह कड़ा बयान दिया और झारखंड सरकार से मुख्य सचिव और डीजीपी के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि झारखंड सरकार के पास राज्य में कोयला माफिया की मौजूदगी की पृष्ठभूमि में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के संबंध में कुछ भी नहीं है। आनंद को उनकी कॉलोनी के पास ही मार दिया गया।

इस पर अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि आपराधिक मामलों में न्यायाधीश कमजोर होते हैं और ऐसी स्थितियों का आकलन करने के लिए एक निकाय होना चाहिए। वहीं, झारखंड सरकार ने कहा कि उसने मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है और वह जांच एजेंसी को पूरा सहयोग देगी।

शीर्ष अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और इस मामले पर आगे की सुनवाई सोमवार को तय की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों को धमकाने की कई घटनाएं हुई हैं और राज्य सरकारों से न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।